# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 98/2023 (Bank Case)

GCMS No- 2023/169

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह। – प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुल्मी पाटीदार पुत्र श्री पन्ना लाल (ऋणी)
   पता– बस स्टेण्ड, धुलेट, कोटा (राज.)– 325602
   दूसरा पता– खसरा नं. 1343, पी.नं. 1461, वार्ड नं. 1, बस स्टेण्ड, ग्राम धुलेट, कनवास, जिला– कोटा
2. श्री पन्ना लाल पुत्र श्री राम नारायण (सहऋणी)
   पता– बस स्टेण्ड के पास, धुलेट, कोटा (राज.)– 325602

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002**

**उपस्थितः–**

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांकः 08. 10 .2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी '' एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.09.2018 को 3,90,000/–(अक्षरे तीन लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री सुरेन्द्र कुल्मी पाटीदार पुत्र श्री पन्ना लाल** की बंधक अचल सम्पत्ति– **खसरा नं. 1343, पी.नं. 1461, वार्ड नं. 1, बस स्टेण्ड, ग्राम धुलेट, कनवास, जिला–कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 96. 67 स्क्वायर यार्ड्स है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– रास्ता, पश्चिम में– शंकर लाल जी का मकान, उत्तर में– रास्ता, दक्षिण में– घांसीलाल जी का मकान,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 8.11.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 3,23,816/–(अक्षरे तीन लाख, तेईस हजार आठ सौ सोलह रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 10.11.2022 तक शेष देय है व दिनांक 11.11.2022 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने
ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **श्री सुरेन्द्र कुल्मी पाटीदार पुत्र श्री पन्ना लाल की बंधक अचल सम्पत्ति– खसरा नं. 1343, पी.नं. 1461, वार्ड नं. 1, बस स्टेण्ड, ग्राम धुलेट, कनवास, जिला–कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 96.67 स्क्वायर यार्ड्स है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में– रास्ता, पश्चिम में– शंकर लाल जी का मकान, उत्तर में– रास्ता, दक्षिण में– घांसीलाल जी का मकान,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)